जल संसाधन मंत्रालय

मांग संख्या 104

जल संसाधन मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			बजट 2004-2005		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		510.50	198.79	709.29	306.75	202.66	509.41	537.82	231.63	769.45
पूंजी		*43.50*	*16.00*	*59.50*	*43.25*	*17.34*	*60.59*	*42.18*	*17.60*	*59.78*
जोड़		**554.00**	**214.79**	**768.79**	**350.00**	**220.00**	**570.00**	**580.00**	**249.23**	**829.23**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	1.50	11.68	13.18	0.86	12.64	13.50	2.20	13.54	15.74
वृहद तथा मध्यम सिंचाई										
2. केन्द्रीय जल आयोग	2701	25.98	64.82	90.80	23.00	65.60	88.60	28.63	67.45	96.08
	4701	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
	जोड़	*25.98*	*64.82*	*90.80*	*23.00*	*65.60*	*88.60*	*29.63*	*67.45*	*97.08*
3. केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केन्द्र	2701	5.45	3.95	9.40	5.37	3.95	9.32	5.71	4.05	9.76
	4701	...	...	...	...	...	...	0.18	...	0.18
	जोड़	*5.45*	*3.95*	*9.40*	*5.37*	*3.95*	*9.32*	*5.89*	*4.05*	*9.94*
4. केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केन्द्र	2701	4.85	12.79	17.64	4.72	13.41	18.13	3.55	13.91	17.46
5. राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण	2701	20.00	...	20.00	21.95	...	21.95	35.00	...	35.00
6. राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान	2701	3.30	3.68	6.98	3.50	3.48	6.98	3.66	3.84	7.50
7. अनुसंधान और विकास कार्यक्रम	2701	15.00	...	15.00	10.79	...	10.79	4.00	...	4.00
8. अन्य	2701	...	1.42	1.42	...	1.45	1.45	...	1.47	1.47
राज्यों को आयोजना-भिन्न अनुदान										
9. सतलज-यमुना लिक नहर परियोजना के लिए सहायता	3601	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	25.00	25.00
जोड़ - वृहद तथा मध्यम सिंचाई		**74.58**	**87.66**	**162.24**	**69.33**	**88.89**	**158.22**	**81.73**	**115.72**	**197.45**
लघु सिंचाई										
10. केन्द्रीय भू-गत जल बोर्ड	2702	84.22	46.11	130.33	82.57	46.86	129.43	53.70	48.17	101.87
	3601	...	...	...	...	...	...	38.00	...	38.00
	3602	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
	4702	3.00	...	3.00	3.32	...	3.32	5.00	...	5.00
	जोड़	*87.22*	*46.11*	*133.33*	*85.89*	*46.86*	*132.75*	*98.70*	*48.17*	*146.87*
11. भू-गत जल योजनाएं	2702	0.45	...	0.45	0.45	...	0.45	0.45	...	0.45
	3601	7.50	...	7.50	7.50	...	7.50	6.50	...	6.50
	3602	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05
	जोड़	*8.00*	*...*	*8.00*	*8.00*	*...*	*8.00*	*7.00*	*...*	*7.00*
जोड़ - लघु सिंचाई		**95.22**	**46.11**	**141.33**	**93.89**	**46.86**	**140.75**	**105.70**	**48.17**	**153.87**
12. कमान क्षेत्र विकास	2705	4.00	...	4.00	3.96	...	3.96	4.50	...	4.50
	3601	198.00	...	198.00	51.10	...	51.10	177.00	...	177.00
	जोड़	*202.00*	*...*	*202.00*	*55.06*	*...*	*55.06*	*181.50*	*...*	*181.50*
बाढ़ नियंत्रण										
13. केन्द्रीय जल आयोग	2711	17.00	29.36	46.36	15.50	30.35	45.85	12.38	31.11	43.49
	4711	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	5.00	...	5.00
	जोड़	*20.00*	*29.36*	*49.36*	*18.50*	*30.35*	*48.85*	*17.38*	*31.11*	*48.49*
14. *राज्यों में बाढ़ नियंत्रण कार्य*										
14.01 बाढ़रोधी कार्यक्रमों हेतु अनुदान	3601	2.00	...	2.00	1.25	...	1.25	1.00	...	1.00
14.02 गंगा बेसिन राज्यों में महत्वपूर्ण अपरदनरोधी कार्यक्रम	3601	12.50	...	12.50	10.75	...	10.75	24.00	...	24.00
	5075	12.50	...	12.50	12.50	...	12.50	6.00	...	6.00
	जोड़	*27.00*	*...*	*27.00*	*24.50*	*...*	*24.50*	*31.00*	*...*	*31.00*
15. पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में आपातकालीन बाढ़ संरक्षण निर्माण कार्य	7601	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00
16. *बाढ़ नियंत्रण की अन्य योजनाएं*										
16.01 गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग	2711	2.10	...	2.10	2.10	...	2.10	2.29	...	2.29

Website: http://indiabudget.nic.in

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2003-2004 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2003-2004 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2004-2005 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
16.02 कोसी और गंडक परियोजनाओं का बाढ़ संरक्षण कार्यों का रखरखाव	2711	6.00	...	6.00	5.32	...	5.32	...	...	...
	3601	...	...	...	...	...	...	6.00	...	6.00
	जोड़	*6.00*	*...*	*6.00*	*5.32*	*...*	*5.32*	*6.00*	*...*	*6.00*
16.03 अन्य	2711	2.00	...	2.00	1.00	...	1.00	0.50	...	0.50
	3601	7.00	...	7.00	1.29	...	1.29	21.00	...	21.00
	3602	...	...	...	...	...	...	1.50	...	1.50
	जोड़	*9.00*	*...*	*9.00*	*2.29*	*...*	*2.29*	*23.00*	*...*	*23.00*
जोड़-बाढ़ नियंत्रण की अन्य योजनाएं		**17.10**	**...**	**17.10**	**9.71**	**...**	**9.71**	**31.29**	**...**	**31.29**
17. *पड़ोसी देशों से सहयोग*										
17.01 बांग्लादेश और पड़ोसी देशों के साथ साझी नदियों पर संयुक्त अवलोकन	2711	2.00	...	2.00	1.00	...	1.00	0.80	...	0.80
17.02 कोसी उच्च बांध परियोजना का सर्वेक्षण और अन्वेषण	2711	1.00	...	1.00	0.50	...	0.50	6.00	...	6.00
17.03 पंचेश्वर बहुप्रयोजनीय परियोजनाएं	2711	3.60	...	3.60	2.75	...	2.75	2.40	...	2.40
जोड़-पड़ोसी देशों के साथ सहयोग		**6.60**	**...**	**6.60**	**4.25**	**...**	**4.25**	**9.20**	**...**	**9.20**
18. *पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए योजनाओं के अधीन प्रावधान*										
18.01 ब्रहमपुत्र बोर्ड को सहायता अनुदान	2552	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00
18.02 ब्रहमपुत्र और बराक घाटी में बाढ़ नियंत्रण	2552	10.00	...	10.00	...	...	...	20.00	...	20.00
18.03 पगलदिया बांध परियोजना	2552	45.00	...	45.00	3.66	...	3.66	40.00	...	40.00
18.04 हरेंज जल निकासी योजना	2552	5.00	...	5.00	15.34	...	15.34	...	...	...
18.05 असम स्थित माजुली द्वीप, दिहांग परियोजना के लिए नई योजनाएं आदि	2552	5.00	...	5.00	10.47	...	10.47	15.00	...	15.00
जोड़-पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के लाभार्थ स्कीमों के तहत प्रावधान		**85.00**	**...**	**85.00**	**49.47**	**...**	**49.47**	**95.00**	**...**	**95.00**
जोड़-बाढ़ नियंत्रण		**155.70**	**32.36**	**188.06**	**106.43**	**33.35**	**139.78**	**183.87**	**34.11**	**217.98**
अन्य परिवहन सेवाएं										
19. फरक्का बैराज परियोजना	3075	...	23.98	23.98	...	23.92	23.92	...	23.09	23.09
	5075	25.00	-1.00	24.00	24.43	-1.20	23.23	25.00	-1.20	23.80
	जोड़	*25.00*	*22.98*	*47.98*	*24.43*	*22.72*	*47.15*	*25.00*	*21.89*	*46.89*
20. *सरकारी उद्यमों को आयोजना भिन्न ऋण*										
20.1 राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	6701	...	14.00	14.00	...	15.54	15.54	...	15.80	15.80
21. सहायता सामग्री और उपस्कर	3606	...	...	...	...	...	...	...	0.18	0.18
घटाएं - कार्यात्मक मुख्य शीर्ष को अंतरण	*3606*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*-0.18*	*-0.18*
	निवल	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
कुल जोड़		***554.00***	***214.79***	***768.79***	***350.00***	***220.00***	***570.00***	***580.00***	***249.23***	***829.23***
ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
केन्द्रीय आयोजना										
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	13451	1.50	...	1.50	0.86	...	0.86	2.20	...	2.20
2. वृहद तथा मध्यम सिंचाई	12701	74.58	...	74.58	69.33	...	69.33	81.73	...	81.73
3. लघु सिंचाई	12702	95.22	...	95.22	93.89	...	93.89	105.70	...	105.70
4. कमान क्षेत्र विकास	12705	202.00	...	202.00	55.06	...	55.06	181.50	...	181.50
5. बाढ़ नियंत्रण	12711	70.70	...	70.70	56.96	...	56.96	88.87	...	88.87
6. अन्य परिवहन सेवाएं	13075	25.00	...	25.00	24.43	...	24.43	25.00	...	25.00
7. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	22552	85.00	...	85.00	49.47	...	49.47	95.00	...	95.00
जोड़		**554.00**	**...**	**554.00**	**350.00**	**...**	**350.00**	**580.00**	**...**	**580.00**

Website: http://indiabudget.nic.in

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं:** आयोजना-भिन्न प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए है। यह आयोजना परिव्यय "सूचना प्रौद्योगिकी विकास", "जल विज्ञान परियोजना" के प्रोजेक्ट सचिवालय इकाई (पी.एस.यू.) जो कि एक विदेशी सहायता प्राप्त योजना है और "जल गुणवत्ता आकलन प्राधिकरण" के लिए है।

वृहद और मध्यम सिंचाई

2. **केन्द्रीय जल आयोग:** संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से देश भर में सिंचाई, नौचालन और बाढ़ नियंत्रण के प्रयोजनों के लिए जल संसाधनों के नियंत्रण, संरक्षण तथा उपयोग हेतु स्कीमें शुरु करने, समन्वित करने तथा उन्हें और आगे बढ़ाने के बारे में सलाह देने का उत्तरदायित्व आयोग को सौंपा गया है। देश में जल संसाधनों के विकास और उपयोग के क्षेत्र में प्रमुख तकनीकी संगठन होने के कारण यह बहुउद्देशीय नदी घाटी तथा बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के संबंध में आयोजना, अन्वेषण, डिजाइन तथा अनुसंधान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

3. **केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केन्द्र:** केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केन्द्र (सी.एस.एम.आर.एस.) जो देश का प्रमुख संगठन है, क्षेत्र समन्वेषण, प्रयोगशाला-जांच, भू-गर्भ यांत्रिकी के विषय में बुनियादी और प्रायोगिक अनुसंधान, ठोस प्रौद्योगिकी और नदी घाटी परियोजनाओं से संबद्ध निर्माण सामग्री के क्षेत्र में काम कर रहा है।

4. **केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधानशाला:** 1916 में स्थापित की गई केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधानशाला (सी.डब्ल्यू.पी.आर.एस.) नदी इंजीनियरी, पोत गतिकी, द्रवचालित मशीनरी, स्तरित प्रवाहों, नींव तथा संरचना, भू-तकनीकों, भूकम्प इंजीनियरी, गणितीय प्रतिरूपण और यंत्रीकरण के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। यह विश्व में अपने तरह का एक विशालतम संस्थान और देश का प्रमुख इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान है।

5. **राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण:** राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को प्रायद्वीपीय नदी प्रणालियों में सूखे से प्रभावित क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अधिशेष जल के अन्तर-बेसिन अन्तरणों की उपयुक्तता के लिए विस्तृत समीक्षा और अन्वेषण करने का काम सौंपा गया है। इसमें ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्टों तथा नदियों के आपस में जोड़ने से संबंधित कार्यदल की तैयारी हेतु प्रावधान शामिल हैं।

6. **राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान:** राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान जल विज्ञान के क्षेत्र में मूलभूत और अनुप्रयुक्त अनुसंधान कार्य करता है।

7. **अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम:** जल संसाधन से संबंधित अनुसंधान स्कीमों को पूरा करने के लिए विभिन्न स्वायत्तशासी निकायों और अनुसंधान संस्थानों को सहायता अनुदान दिया जाता है।

8. **वृहद और मध्यम सिंचाई की अन्य स्कीमें:** इसमें सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, बाणसागर नियंत्रण बोर्ड और ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के लिए व्यवस्था शामिल है। इन संगठनों के संबंध में व्यय की वसूली भागीदार राज्यों से की जाती है।

9. **सतलुज-यमुना लिंक नहर परियोजना के लिए सहायता:** परियोजना से संबंधित शेष निर्माण कार्यों को निष्पादित करने हेतु इस परियोजना के लिए प्रावधान किया गया है।

लघु सिंचाई

10. **केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड:** केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, देश में जल भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षणों को हाथ में लेने तथा भूमिगत जल वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए समन्वेषणात्मक ड्रिलिंग करने और भूमिगत जल विकास योजना तैयार करने में राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए उत्तरदायी है। इसमें केंद्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण, जिसकी स्थापना पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अधीन की गई, के लिए भी प्रावधान शामिल है। "भूजल को कृत्रिम रूप से रिचार्ज" करने संबंधी केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु प्रावधान किया गया है।

11. **भूतल जल स्कीम:** "लघु सिंचाई सांख्यिकी की गणना को युक्तियुक्त बनाने" वाली योजनाओं हेतु राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान निर्गत करने के लिए व्यवस्था की गई है।

12. **कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम:** सरकार द्वारा सन् 1974-75 में केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरु किए गए "कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम" का उद्देश्य सृजित सिंचाई क्षमता तथा इसके प्रभावी उपयोग के माध्यम से उपयोग की गई क्षमता के बीच के अन्तर को कम करना तथा सततशील आधार पर सिंचित भूमि से कृषि उत्पादन को बढ़ाना था। प्रारंभ में 60 बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को लिया गया जिनमें लगभग 15 मिलियन हेक्टेयर का जोत योग्य कमान क्षेत्र शामिल था। अब तक, 30.37 मिलियन हेक्टेयर का जोत योग्य कमान क्षेत्र की 310 परियोजनाओं को लिया गया है। अब तक, इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 16 मिलियन हेक्टेयर का क्षेत्र लाभान्वित हुआ है। इस कार्यक्रम के अधीन कृषकों की भागीदारी को भी प्रोत्साहन दिया गया है। इसमें अनुसंधान एवं विकास हेतु प्रावधान भी शामिल है।

बाढ़ नियंत्रण

13. **केन्द्रीय जल आयोग:** इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय नदी जलवाह क्षेत्रों में केन्द्रीय जल आयोग के अधीन स्थित महत्वपूर्ण स्थलों पर बाढ़ संबंधी पूर्व सूचना प्रदान करने और तत्संबंधी चेतावनी देने वाले केन्द्रों की स्थापना, अनुरक्षण और आधुनिकीकरण के लिए व्यवस्था शामिल है। बाढ़ संबंधी पूर्वसूचना देने का जो कार्य चौथी योजना अवधि के दौरान गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, तिस्ता नदियों के बाढ़ प्रवण बेसिनों और उड़ीसा के तटीय नदियों में शुरू किया गया था उपयोगी सिद्ध होने के कारण उसे गोदावरी, दामोदर, कृष्णा, माही तथा साबरमती नदियों के जलवाहक क्षेत्रों में भी शुरू कर दिया गया है। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अपने जल विषयक मौसम विज्ञान केन्द्रों तथा वायरलेस केन्द्रों के नेटवर्क के जरिए बाढ़ संबंधी जो पूर्वसूचना भेजी जाती है वह बाढ़ का प्रबंध करने और बाढ़ से होने वाली क्षति को कम से कम करने में स्थानीय प्राधिकारियों के लिए बहुत सहायक होती है।

आयोग को भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की तरफ से विशिष्ट योजनाओं को शुरू और कार्यान्वित करने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

14. **राज्यों में बाढ़ नियंत्रण कार्य**

14.01 **बाढ़ रोधक कार्यक्रम:** इस मद के अंतर्गत, राज्य सरकारों को उत्तरी बिहार और अन्य राज्यो में बाढ़ रोधक कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए अनुदानों के रूप में केन्द्रीय सहायता जारी किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

14.02 **गंगा बेसिन राज्यों में महत्वपूर्ण अपरदन-रोधी कार्य:** यह व्यवस्था गंगा बेसिन राज्यों में महत्वपूर्ण अपरदन-रोधी कार्यों के लिए है।

15. **पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में आपातकालीन बाढ़ संरक्षण कार्य:** आयोजना-भिन्न व्यवस्था देश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के राज्यों में बाढ़ से बचाव करने के तात्कालिक निर्माण कार्यों के लिए विशेष ऋण सहायता के संबंध में है।

16. **बाढ़ नियंत्रण की अन्य योजनाएं:** इसमें गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग जो कि गंगा बेसिन में बाढ़ नियंत्रण का मास्टर प्लान तैयार करने के कार्य और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के संबंध में मूलभूत अनुसंधान कार्यों में लगा हुआ है, के लिए व्यवस्था शामिल है। इसमें कोशी एवं गंडक परियोजनाओं के बाढ़ बचाव निर्माण कार्यों का रख-रखाव; लालबकेया कमला, बागमती और खांडों नदियों पर तटबंधों के विस्तार; गंगा बेसिन राज्यों के छोड़कर तटीय महत्वपूर्ण क्षरण-रोधी कार्यों; तथा भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जल-निकासी के सुधार शामिल हैं।

17. **पड़ोसी देशों के साथ सहयोग:** यह व्यवस्था पडोसी देशों अर्थात् नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ साझी नदियों पर योजनाओं/परियोजनाओं का सर्वेक्षण और अन्वेषण करने के लिए है।

18. **पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के लाभार्थ योजनाओं के अंतर्गत प्रावधान**

18.01 **ब्रह्मपुत्र बोर्ड:** बहुप्रयोजनी लाभों के लिए ब्रह्मपुत्र बेसिन के जल संसाधन विकास को ध्यान में रखते हुए एक मास्टर योजना तैयार करने में मदद देने के लिए सर्वेक्षण तथा अन्वेषण कार्य करने के अतिरिक्त ब्रह्मपुत्र एवं बारक घाटियों में बाढ़ नियंत्रण तथा कटाव को रोकने और जल निकासी का सुधार करने के लिए एक मास्टर योजना तैयार करने के विशिष्ट उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा ब्रह्मपुत्र बोर्ड की स्थापना की गई थी। बोर्ड का समस्त व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता-अनुदान के रूप में वहन किया जाता है।

18.02 **ब्रह्मपुत्र और बरक घाटी में बाढ़ नियंत्रण:** ब्रह्मपुत्र और बरक घाटी में बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह अनुदान के रूप में होगी।

18.03 **पगलदिया बांध परियोजना:** यह परियोजना ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। यह परियोजना असम राज्य की बाढ़ समस्याओं का शमन करेगी तथा कुछ विद्युत का भी सृजन करेगी।

सं.104/जल संसाधन मंत्रालय

18.05 **असम स्थित माजुली द्वीप, दिहांग परियोजना के लिए नयी योजनाएं आदिः** युनेस्को ने हाल में माजुली द्वीप को विश्व विरासत के रूप में घोषित किया है। विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप के संरक्षण के लिए निर्माण कार्य करने हेतु ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है।

परिवहन क्षेत्र

19. **फरक्का बराज परियोजनाः** फरक्का बराज परियोजना जो अनिवार्यतः परिवहन क्षेत्र की परियोजना है, का क्रियान्वयन इस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। गंगा नदी पर फरक्का पर मुख्य बराज और जंगीपुर के पास भागीरथी पर एक बराज, रेल एवं सड़क पुल और बराज से निकाली गई तथा भागीरथी में गिरती हुई पृष्ठ नहर के कार्य 1975 में पूर्ण कर लिए गए थे। फरक्का में नौवहन लॉक को 1987 में राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। फरक्का पर नौवहन लॉक का कार्य पूरा हो जाने पर, हल्दिया से फरक्का तक और पटना से इलाहाबाद तक का अन्तर्देशीय नौवहन मार्ग फिर से चालू कर दिया गया है।

20. **सरकारी उद्यमों को आयोजना भिन्न ऋण**

20.1 **राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेडः** यह प्रावधान राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड को आयोजना-भिन्न ऋण के लिए है ताकि वह अपने निष्क्रिय इकाइयों के कर्मचारियों को वेतन, मजदूरी का भुगतान करने तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत मामलों को निपटाने में सक्षम हो सके।

21. **सहायता सामग्री तथा उपस्करः** नार्वे से प्राप्त उपस्कर की लागत को समायोजित करने के लिए आयोजना-भिन्न शीर्ष के अधीन यह प्रावधान रखा गया है।